न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 187/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/311)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. हरीकृष्ण सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. हरबंस सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 01.10.2024

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

--निर्णय-- दिनांक: 16.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 22 एफ. पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 18/18 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 5.566 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 51/51 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 25 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 2.454 हैक्टेयर, खाता संख्या 92/92 के मुरब्बा नम्बर 28, 30, 64/18 की कुल 3.251 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त सम्पति पैतृक सम्पति है और पारिवारिक सम्पति विभाजन में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्तशुदा है और पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार ही वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 अपनी-अपनी सम्पति पर कब्जा काश्त है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 की पारिवारिक सम्पति पंजाब एंव राजस्थान दोनों जगह स्थित है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से पंजाब व राजस्थान में बहिस्सा बराबर सम्पति है। वादी का भाई प्रतिवादी संख्या 1 पंजाब में निवास करता है, जिस कारण वादी ने पंजाब में स्थित सम्पति पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार उसको सुपुर्द की हुई है। उक्त हिस्सा के बदले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्थान में स्थित भूमि वादी को प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त अवश्य है। लेकिन राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है। वादी के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। इस कारण वादी कब्जा काश्त की भूमि का राजस्व लगान व भूमि अपने नाम करवाने हेतु उक्त दावा पेश कर रहा है। वादी ने आज से 5 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क कर इस सबंध में अर्ज किया और विचार विमर्श किया तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को राजस्व ग्राम 22 एफ. पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 18/18 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 5.566 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 51/51 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 25 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 2.454 हैक्टेयर, खाता संख्या 92/92 के मुरब्बा नम्बर 28, 30, 64/18 की कुल 3.251 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरबंस सिंह के नाम से दर्ज भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एंव वादी के नाम से उक्त रकबा दर्ज करने के आदेश व डिक्री पारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा मिसल पेशी में लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, पत्रावली दिनांक 15.10.2024 को पेशी में ली गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। सामिल मिसल किया गया। जिसके अनुसार वादी का उक्त वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। वादी हरकृष्ण सिंह व प्रतिवादी हरबंस सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि राजस्व ग्राम चक 22 एफ के खाता संख्या 18 में 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 51 में 632/26007 हिस्सा, खाता संख्या 99 में 3163/6325 हिस्सा एवं चक 25 एफ के खाता संख्या 21 में 613/2454 हिस्सा तथा खाता संख्या 92 में 307/3251 हिस्सा भूमि वादी को देना तय किया हुआ है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक चिबडावाली, मुक्तसर साहिब, पंजाब में पैतृक कृषि भूमि थी। जिसमें से वादी ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाया हुआ है। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजीनामा वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा, राजीनामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी हरकृष्ण सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह को प्रतिवादी संख्या 1 हरबंस सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 18/18 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 5.566 हैक्टेयर भूमि में से 2.783 हैक्टेयर, खाता संख्या 51/51 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि में से 0.632 हैक्टेयर, खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से 3.163 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम 25 एफ. पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 2.454 हैक्टेयर में से 0.613 हैक्टेयर, खाता संख्या 92/92 के मुरब्बा नम्बर 28, 30, 64/18 की कुल 3.251 हैक्टेयर भूमि में से 0.307 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6 7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D 1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

हरीकृष्ण सिंह बनाम हरबंस आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए

मुकदमा नम्बर 187/2024

निर्णय दिनांक :- 16.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जांगिड़, श्री इन्द्राज सेतु प्रतिवादी अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी हरकृष्ण सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह को प्रतिवादी संख्या 1 हरबंस सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 22 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 18/18 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 5.566 हैक्टेयर भूमि में से 2.783 हैक्टेयर, खाता संख्या 51/51 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि में से 0.632 हैक्टेयर, खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से 3.163 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम 25 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 2.454 हैक्टेयर में से 0.613 हैक्टेयर, खाता संख्या 92/92 के मुरब्बा नम्बर 28, 30, 64/18 की कुल 3.251 हैक्टेयर भूमि में से 0.307 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 16.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1454**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2024/550

दिनांकः 16.10.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर